प्रेषक,

शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा)
शिक्षा डिग्री पेंशन अनुभाग,
प्रयागराज।

सेवा में,

1. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

2. समस्त वित्त अधिकारी,
राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक : डिग्री पेंशन/ 12030 – 44 /2018–19, दिनांक 3 – 1 – .2019

विषय : राज्य विश्वविद्यालय/अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के सेवानिवृत्त शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के पेंशन भुगतान के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में सूच्य है कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों एवं राज्य विश्वविद्यालयों (जिन्हें वेतन भत्तों तथा पेंशन के लिये राज्य सरकार द्वारा आवर्तक अनुदान दिया जाता है) के सेवानिवृत्त शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को समय–समय पर शिक्षा विभाग द्वारा जारी शासनादेश के अन्तर्गत पेंशनादि की सुविधा प्रदान की गयी है। इन सेवानिवृत्त शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को पेंशनादि के भुगतान की प्रक्रिया जटिल एवं समय साध्य होने के कारण उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या–ई–11–1321/दस–13–XI/94, दिनांक 15.07.1994 एवं शासनादेश संख्या–2692/15(15)–46(37)/94, दिनांक 09.08.1994 के द्वारा अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों एवं राज्य विश्वविद्यालयों के सेवानिवृत्त शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को पेंशनादि के भुगतान प्रक्रिया के सरलीकरण के अन्तर्गत उनको पेंशनादि का भुगतान राजकीय कोषागारों के माध्यम से किये जाने की व्यवस्था प्राविधानित की गयी है। अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों एवं राज्य विश्वविद्यालयों के सेवानिवृत्त शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के पेंशन भुगतान आदेश जारी किये जाने हेतु वित्त नियंत्रक, शिक्षा निदेशालय (उच्च शिक्षा) को अधिकृत किया गया है। इन शासनादेशों में यह स्पष्ट रूप से प्राविधानित है कि भविष्य में सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के पेंशनादि प्रपत्र प्राचार्य (अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों की स्थिति में)/वित्त अधिकारी (राज्य विश्वविद्यालयों की स्थिति में) द्वारा सेवानिवृत्ति की तिथि से एक वर्ष पूर्व से तैयार कराया जाना आरम्भ कर दिया जायेगा, जिससे सेवानिवृत्ति के छः माह पूर्व सम्बन्धित सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारी के पेंशन प्रपत्र स्वीकर्ता अधिकारी अर्थात निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र, प्रयागराज को प्रेषित किये जा सकें जिससे उन्हें राज्य कर्मचारियों की भांति पेंशन/सामान्य भविष्य निधि सेवानिवृत्ति की तिथि तक स्वीकृत की जा सके।

प्रायः देखने में आता है कि अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों/राज्य विश्वविद्यालयों से सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के पेंशन प्रपत्र उनकी सेवानिवृत्ति के पश्चात् पर्याप्त विलम्ब से इस कार्यालय को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये जाते हैं, जो कि प्राविधानित नियमों के विपरीत है। विलम्ब से पेंशन प्रपत्र प्रेषित किये जाने के कारण पेंशन/जी0पी0एफ0 विलम्ब से स्वीकृत होने के फलस्वरूप कई बार प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न होती है, जिससे शासन पर ब्याज के रूप में अतिरिक्त व्यय–भार भी आता है।

अतएव इस सम्बन्ध में पुनः संज्ञान में लाना है कि अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों/राज्य विश्वविद्यालयों के भविष्य में सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के पेंशन स्वीकृति/सामान्य भविष्य निधि के अन्तिम भुगतान के सम्बन्ध में समस्त औपचारिकतायें शासनादेश में दी गयी व्यवस्था के अनुसार समय से पूर्ण कराकर सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति से सम्बन्धित प्रपत्र छः माह पूर्व ही निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें, जिससे कि सेवानिवृत्तिक देयकों का भुगतान समय से किया जाना सम्भव हो सके।

भवदीय,

(अरूण कुमार सिंह)
वित्त नियंत्रक (उच्च शिक्षा),
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

पृष्ठांकन संख्या डिग्री पेंशन/ /उसी तिथि को।

प्रतिलिपि संयुक्त सचिव (उच्च शिक्षा), उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को शासन के पत्र संख्या–2056/सत्तर–3–2018, दिनांक 10.12.2018 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(अरूण कुमार सिंह)
वित्त नियंत्रक (उच्च शिक्षा),
उत्तर प्रदेश. प्रयागराज।